परिपत्र संख्या 1/12

राजस्थान सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान
अजमेर

क्रमांक एफ 7(34)जन/11/पार्ट-1665 दिनांकः 19-1-2012

परिपत्र

सामान्यतः उप पंजीयक/उप महानिरीक्षक के कार्यालय से आयकर विभाग को निम्नलिखित सूचनायें भिजवाये जाने का प्रावधान है :-

1. 5 लाख एवं उससे अधिक मालियत के पंजीबद्ध दस्तावेजों की सूचना।
2. 30 लाख या उससे अधिक मालियत के पंजीबद्ध दस्तावेजों की वार्षिक विवरणी।
3. जिन दस्तावेजों में क्रेता/विक्रेता के पास पैन नम्बर नहीं हैं, उनके द्वारा भरे जाने वाले फार्म नम्बर 60/61 की सूचना।
4. पंजीबद्ध दस्तावेज जिनमें उप पंजीयक द्वारा मालियत में 5 लाख या उससे अधिक की वृद्धि कर दस्तावेज पंजीबद्ध किये गये की सूचना।
5. उप पंजीयक द्वारा रेफरेन्स किये गये प्रकरणों में कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा मालियत में 5 लाख या उससे अधिक की वृद्धि कर किये गये निर्णय में प्रश्नगत दस्तावेज के संबंध में आयकर विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में सूचना।
6. आयकर विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र ए एवं बी की सूचना।

उपरोक्त सभी सूचनायें समय पर एवं सही भिजवाने के संबंध में विभाग द्वारा समय-समय पर पत्र/परिपत्र जारी कर निर्देश दिये गये हैं। सूचना समय पर नहीं भिजवाने पर आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत शास्ति भी संबंधित उप पंजीयक पर आरोपित किये जाने का प्रावधान है।

आयकर विभाग द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा-271FA की सूचना जालौर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, जालौर द्वारा समय पर नहीं भिजवाने के कारण उनके विरूद्ध आयकर विभाग ने आदेश दिनांक 14.5.07 द्वारा पैनल्टी लगाई थी। जालौर नागरिक सहकारी बैंक द्वारा आयकर विभाग के आदेश दिनांक 14.5.07 को उपरोक्त याचिका में चुनौती दी गई थी

उप निदेशक, आयकर (मुख्यालय) राजस्थान, जयपुर द्वारा विभाग को पत्र क्रमांक DDIT(Hqrs)(I&CI)/JPR/AIR/2011-12/1153 दिनांक 14.11.12 के साथ माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 3687/07 जालौर नागरिक सहकारी बैंक बनाम भारत सरकार व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 9.8.11 की प्रति प्रेषित की है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अपने उपरोक्त निर्णय में जालौर नागरिक सहकारी बैंक द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त याचिका को खारिज किया गया है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय की प्रति परिपत्र के संलग्न कर भिजवाई जा रही है। अतः आप उक्त निर्णय को ध्यान में रखते हुए विभाग के स्तर से आयकर विभाग को भिजवाई जाने वाली सूचनायें निर्धारित समय पर एवं सही रूप में भिजवाना सुनिश्चित करें, ताकि सूचना के अभाव में आप पर शास्ति आरोपित नहीं हो।

महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर

क्रमांक एफ. 7(34)जन/11/पार्ट–1/666 /11/ दिनांक: 19 / / 2012

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. शासन सचिव वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव एवं कमिश्नर सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राज. जयपुर की विभाग की वेबसाईट www.rajstamps.gov.in पर अपलोड हेतु।
3. समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
4. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एस.आर.ए.5/कार्यालय महालेखाकार, (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर।
5. पंजीयक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को कर बोर्ड के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ।
6. निदेशक, आयकर (CIB) स्टेच्यू सर्किल, जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
8. उप विधि परामर्शी/सहायक विधि परामर्शी, मुख्यालय, अजमेर।
9. अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, वित्त भवन, जयपुर।
10. अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर।
11. समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), राजस्थान।
12. समस्त उप पंजीयकगण, राजस्थान।
13. मुख्य विधि सहायक कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), वृत–जयपुर/जोधपुर।
14. उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
15. ए.सी.पी, मुख्यालय, अजमेर को परिपत्र की प्रति विभाग की बेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
16. समस्त आन्तरिक लेखा जांच दल, मुख्यालय, अजमेर।
17. निजी–सचिव,महानिरीक्षक/निजी–सहायक, अति. महानिरीक्षक।
18. समस्त शाखाएँ, मुख्यालय, अजमेर।

अतिरिक्त महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर